

लाला राम जाट

बनाम

बालू जाट वर्गे सह

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक 29/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री लाला राम भीणा ने जसिये आदेश के
श्री शोधेश्याम शर्मा ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल
खाते की भूमि ग्राम हिगावसिया प्र0ह0 धाकड खेड़ी प्र0ह0 माण्डलगढ में आ
370/225

कित्ता 1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन
विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान क
साथ से प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान आपकी
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2074 के अवलोकन से प्रार्थी
आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसीयान के विवाद क
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव न
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0क्ट स्वीकार किया
ग्राम हिगावसिया की आराजी न0 370/225

रकबा बीघा 1 बिस्वा 2 की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी बि
के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जा
कमीशनर फीस 150 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहस
माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

